GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 63 ANSWERED ON TUESDAY, THE 13TH DECEMBER, 2022

USE OF CSR FUNDS FOR SUPPORTING TERTIARY EDUCATION SECTOR

QUESTION

*63. SHRI R. GIRIRAJAN:

Will the Minister of Corporate Affairs be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that Corporate Social Responsibility (CSR) funds can be used to meaningfully support the tertiary education sector in different ways, if so, the details thereof;
- (b) whether any measures have been taken by Government in this regard, if so, the details thereof;
- (c) whether Government has taken any steps to create a robust mechanism to connect CSR Department of corporate companies to Members of Parliament, if so, the details thereof; and
- (d) whether Government has any proposal to introduce a minimal CSR fund target for every constituency, if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF FINANCE
AND CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 63 FOR 13TH DECEMBER, 2022 REGARDING USE OF CSR FUNDS FOR SUPPORTING TERTIARY EDUCATION SECTOR

(a) & (b): The broad framework for Corporate Social Responsibility (CSR) has been provided under Section 135 of the Companies Act, 2013 ('Act'), Schedule VII of the Act and Companies (CSR Policy) Rules, 2014. Schedule VII of the Act indicates the eligible list of activities that can be undertaken by the companies as CSR. The Ministry vide General Circular no. 21/2014 dated 18th June, 2014 and no. 14/2021 dated 25th August, 2021 had clarified that items mentioned in Schedule VII are broad based and can be interpreted liberally. Item no. (ii) of Schedule VII, inter alia, covers "education, special education and vocational skills" as eligible CSR activities. Accordingly, 'tertiary education' is an eligible CSR activity under item no. (ii) of Schedule VII.

The CSR framework is disclosure based and CSR mandated companies are required to file details of CSR activities annually in the MCA21 registry. All data related to CSR filed by companies in MCA21 registry is available in public domain and can be accessed at www.csr.gov.in. On the basis of the filings made by the companies in the MCA21 registry, the CSR spent by all the companies in education, special education and vocational skills during last three Financial Years (FY) 2018-19, 2019-20 and 2020-21 respectively are given below:

| CSR Expenditure in education, special education and vocational skill sector (In Rs. Crore) | | | | |
|--|------------|------------|------------|--|
| Development Sector | FY 2018-19 | FY 2019-20 | FY 2020-21 | |
| Education | 6,102.18 | 7,175.85 | 6,607.64 | |
| Special Education | 186.13 | 196.88 | 207.61 | |
| Vocational Skills | 798.36 | 1,181.13 | 640.43 | |
| Grand Total | 7,086.67 | 8,553.87 | 7,455.68 | |

(Data up to 30.09.2022) [Source: National CSR Data Portal]

(c): Under the Act, CSR is a Board driven process and the Board of the company is empowered to plan, decide, execute and monitor the CSR activities based on the recommendations of its CSR Committee. The CSR mandated companies can undertake any of the activities mentioned in Schedule VII subject to fulfillment of provisions as contained in the Act and Companies (CSR Policy) Rules, 2014. The Government does not issue any direction in this regard.

(d): No such proposal is under consideration of the Ministry.

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 63

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 दिसंबर, 2022 को दिया गया) तृतीयक शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग किया जाना

*63. श्री आर. गिरिराजन:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग विभिन्न तरीकों से तृतीयक शिक्षा क्षेत्र को सार्थक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने कारपोरेट कंपिनयों के सीएसआर विभाग को संसद सदस्यों से जोड़ने हेतु एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक न्यूनतम सीएसआर निधि लक्ष्य शुरू करने का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

तृतीयक शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग किए जाने के संबंध में 13 दिसंबर, 2022 को राज्य सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 63 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची-VII तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की अनुसूची-VII उन कार्यकलापों की पात्र सूची को दर्शाती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। मंत्रालय ने 18 जून, 2014 के सामान्य परिपत्र सं. 21/2014 और 25 अगस्त, 2021 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2021 द्वारा यह स्पष्ट किया था कि अनुसूची-VII में उल्लिखित मदें व्यापक हैं और इनकी उदारतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। अनुसूची-VII की मद सं. (ii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र सीएसआर कार्यकलापों के रूप में "शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल" शामिल है। तद्नुसार "तृतीयक शिक्षा" अनुसूची-VII की मद सं. (iii) के अंतर्गत एक पात्र सीएसआर कार्यकलाप है।

सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से अपेक्षित है कि वे एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करें। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) क्रमशः 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान शिक्षा, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक कौशल में सभी कंपनियों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

| शिक्षा, विशेष शिक्षा और व्यावसायिक कौशल क्षेत्र में सीएसआर व्यय | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|
| (रुपये करोड़ में) | | | | |
| विकास क्षेत्र | वि.व. 2018-19 | वि.व. 2019-20 | वि.व. 2020-21 | |
| शिक्षा | 6,102.18 | 7,175.85 | 6,607.64 | |
| विशेष शिक्षा | 186.13 | 196.88 | 207.61 | |
| व्यावसायिक कौशल | 798.36 | 1,181.13 | 640.43 | |
| कुल योग | 7,086.67 | 8,553.87 | 7,455.68 | |

(30.09.2022 तक के आंकड़े) [स्रोत : राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

(ग): अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों के संबंध में योजना बनाने, इस पर निर्णय लेने, इसे निष्पादित करने तथा इसकी मॉनीटरी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में यथा-उल्लिखित उपबंधों को पूरा करने के अध्यधीन अनुसूची-VII में उल्लिखित किन्हीं कार्यकलापों को प्रारंभ कर सकती हैं। सरकार इस संबंध में कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

SHRI R. GIRIRAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, CSR is mandatory, not an obligation or charity. ...(Interruptions)... The information regarding CSR spending by companies is insufficient and difficult for a person to access. ...(Interruptions)... The Department-Related Parliamentary Standing Committee on Finance has recommended that a third-party audit of CSR spending may be carried out to bring about transparency in CSR disclosures and accountability of companies in their CSR spending. ...(Interruptions)...

My specific question to the hon. Minister is: Does the Government have any plans to form an exclusive monitoring Committee comprising MPs from both Houses to bring out transparency in CSR disclosures and accountability of companies in their CSR spending? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Girirajan, you have put your question. ... (Interruptions)...

RAO INDERJIT SINGH: The CSR policy is a Board-driven exercise. ... (Interruptions)....The Board decides what to do with regard to monitoring and execution. ... (Interruptions)... And, companies are creating wealth for the nation. ... (Interruptions)...So, there is nothing that is mandatory from the side of the Government. ... (Interruptions)... The Board of company has been empowered to take a decision on all activities that are covered under the CSR. ... (Interruptions)... And, these activities are mentioned under Schedule-VII. ... (Interruptions)...

Secondly, Members of Parliament can be associated by any company which desires to do so. But, if a company does not want to do so, it is up to them. We have not made it mandatory for company to invite Members of Parliament to whatever CSR activities they are doing. ...(Interruptions)...

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, tertiary education, including the vocational training, is very important and the need of the hour is to generate skilled persons to the expectations of companies. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have any plans to make it mandatory for companies to spend 50 per cent of CSR spending on imparting skill training.

Further, I would also like to know whether the Government has any robust mechanism to monitor the contribution of CSR funds by companies, to punish companies those who do not actively contribute, amount of fine imposed and the action taken on such erring companies.

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, एक मिनट। जो भी माननीय सदस्य अपनी बैक चेयर की ओर करके खड़े हैं, वे कृपया सदन के नियमों का पालन करें और अपनी-अपनी सीट पर जाएँ।

RAO INDERJIT SINGH: Sir, Schedule-VII, Item No. 2 of the Companies Act covers, inter alia, education, special education and vocational skills. So, the reply to the hon. Member's question is 'yes' CSR activities do cater to vocational activities and vocational education. Now, over the last three years, the maximum amount of CSR, which has been spent by companies, has been on education. In 2018-19, it was Rs. 6,102 crores; in 2019-20, it was Rs. 7,175 crores; and in 2020-21, it was Rs. 6,607 crores. On vocational skills itself, in 2018-19, the spending was Rs. 798 crores; in 2019-20, it was Rs. 1,181 crores; and, in 2020-21, it was Rs. 640 crores. So, spending is there every year even on vocational education. Like I said in the earlier answer, the Government, however, does not make it mandatory for any company to spend only on this or that particular CSR activity.

श्री नरेश बंसल: उपसभापित महोदय, बहुत सारी कंपिनयाँ अपना सीएसआर फंड उसी वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं करती हैं, तो मैं माननीय कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि वे उस फंड को उसी वित्तीय वर्ष में खर्च कर सकें? क्या इसकी कोई मॉनिटिरंग है?

राव इन्द्रजीत सिंह: सर, जो सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं, वे आम तौर पर पिछले साल के मुनाफे के ऊपर तय की जाती हैं। अगर किसी कंपनी ने पाँच करोड़ से अव्वल मुनाफा कमाया है, तो उसे अगले साल के अंदर खर्च करना पड़ता है। माननीय सदस्य दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वे कई बार अगले साल में खर्च नहीं कर पाते हैं। चूँकि पिछले दो-तीन सालों में कोविड का प्रकोप रहा था, इसलिए वे यह नहीं कर पाए। अब इसके लिए सरकार ने यह प्रावधान किये हैं कि अगर उस फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड ने यह तय कर लिया है कि हमें फलाना प्रोजेक्ट लेना है, लेकिन वे उस साल के अंदर प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए उन्हें एक विंडो दी गई है कि वे साल खत्म होने के उपरांत एक महीने के अंदर-अंदर बैंक में एक सेपरेट अकाउंट खोलें, जिसका नाम अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट होगा। उन्हें उस एक्टिविटी के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करना होता है, उसे उस अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर डालना होता है और फिर उसे तीन साल तक खर्च करना होता है। अगर वह पूरा अमाउंट तीन साल के अंदर भी खर्च नहीं होता है, तो फिर 'क्लीन गंगा फंड' या अनुसूची 🗸 के अन्य फंड्स में उस पैसे को खर्च करना पड़ता है। अगर एक बार कंपनी सीएसआर स्पेंडिंग के लिए लायेबल हो जाती है, तो वह उस कंपनी के खाते से निकलकर सीएसआर अकाउंट में चला जाता है और कंपनी उसे अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती है। यह मैन्डेटरी तो नहीं है कि इसे उसी साल में करें, लेकिन उस साल में एक्टिविटी शुरू करने की मंजूरी जरूर होनी चाहिए कि हमारे बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि हम यह एक्टिविटी शुरू करेंगे। अगर लंबी-चौड़ी एक्टिविटी है, वह एक साल, दो साल या तीन साल में पूरी नहीं होती है, तो सरकार उसे तीन साल तक पूरा करने की अनुमति दे रही है।

श्रीमती सुलता देव : डिप्टी चेयरमैन सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद।

सर, सीएसआर का पैसा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और वोकेश्नल स्किल में खर्च होता है, तो मैं वोकेश्नल स्किल के संबंध में कुछ जानना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जो एसएचजी ग्रुप में हैं, वे कोविड के चलते दो साल तक घर में बैठी रहीं। अगर वोकेश्नल स्किल की ट्रेनिंग का प्रोविज़न है, तो जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, उनके लिए इसका कोई प्रावधान किया गया था या नहीं? अगर किया गया था, तो यह किस स्टेट में कितना किया गया था? खास तौर पर, मैं जानना चाहती हूँ कि ओडिशा में 70 लाख विमेन का एसएचजी ग्रुप है, उन्हें कितनी वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई है?

राव इन्द्रजीत सिंह: महोदय, मैंने वोकेश्नल ट्रेनिंग के संबंध में पहले भी फरमाया था कि यह एक अलाउड एक्टिविटी है और हरेक कंपनी, जो सीएसआर खर्च करती है, उसे हर साल छ: महीने के उपरांत सितम्बर महीने के बाद अक्टूबर तक का एक महीना मिलता है, जिसमें उसे एमसीए21 के अंडर यह दिखाना पड़ता है कि हमने इस एक्टिविटी के ऊपर इस प्रांत के अंदर इतना खर्चा किया है। अगर ओडिशा की बात करते हैं, वहाँ एमसीए21 के तहत जो फाइलिंग हुई है, अगर आप इसे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीएसआर.जीओवी.इन पोर्टल पर देखेंगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओडिशा में इस एक्टिविटी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है।

DR. V. SIVADASAN: Sir, the State Governments are spending a major share of their funds in social activities. After the implementation of GST, the State Governments are facing huge financial crisis. Here, my point is that the Government has given permission to the public sector companies and the corporates to contribute their CSR Fund to the PM CARES Fund. My question is: Why is the Union Government not ready to give permission to public sector companies and the corporate companies to contribute their CSR Fund to the CMDRF? This is a very great injustice. So, I want to have a reply from the Minister. ... (Interruptions)...

श्री उपसभापित: माननीय सदस्यगण, अभी साढ़े बारह बज चुके हैं, अब माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान होगा। स्टेटमेंट अभी बँट रही है, वह आपके हाथ में मिल जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री जी। ...(व्यवधान)...

कुछ माननीय सदस्य : सर, एलओपी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions).. I have already called the Minister of Defence. ...(Interruptions).. माननीय रक्षा मंत्री जी। ...(व्यवधान)... माननीय रक्षा मंत्री जी, आप अपना बयान दें। ...(व्यवधान)...